

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17.11.2020

थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर ने एक अभियुक्त को एक अदद देशी तमंचा व दो जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा "अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी" के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण में तथा श्री रणधीर कुमार मिश्रा, प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में उ0नि0 जयप्रकाश तिवारी मय हमराह हेका0 फखरे आलम खाँ व का0 राजेश कुमार गौड़ द्वारा मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर अभियुक्त सदानन्द पुत्र रामप्रकाश साकिन भैंसी थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 16.11.2020 को समय 22.05 बजे एक अदद देशी तमंचा 12 बोर व दो जिन्दा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 228/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. उ0नि0 श्री जयप्रकाश तिवारी थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर
2. हे0का0 फखरे आलम खाँ थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर
3. का0 राजेश गौड़ थाना त्रिलोकपुर जनपद सि0नगर

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17.11.2020

अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 16-11-2020 को पुलिस द्वारा कृत कार्यवाही।

दिनांक 16-11-2020 को जनपद सिद्धार्थनगर के सभी थाना क्षेत्रों में वाहन/अवैध शराब/ संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग का अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा यातायात माह नवम्बर के दृष्टिगत एम0वी0 एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 255 वाहनों से 202800/ रु0 समन शुल्क वसूल किया गया।

01- थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त नवीन शंकर तिवारी पुत्र श्याम बिहारी तिवारी सा0-मुसुकाबाद थाना व जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 258/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

02- थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त आकाश पुत्र स्व0 कृष्ण सा0- बनगवा थाना मिश्रौलिया जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 192/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

03- थाना उसका जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर खान पुत्र अग्रवाल सा0-बतसा थाना चिल्हिया जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 227/2020 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

04- थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त रामलखन यादव पुत्र अलगू यादव सा0-बढ़नीचाफा टोला गोड़टुटा थाना भवानीगंज जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 15 शीशी नाजायज (बंटी बबली ब्राण्ड) देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 152/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

05- थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त मुबारक पुत्र कलाम सा0-मिरवापुर थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 05 लीटर नाजायज देशी कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 236/2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

06- थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ भल्लू पुत्र प्रभुनाथ सा0-गड़ाकुल थाना शोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 25 शीशी नाजायज नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 294/2020 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

07- थाना पथरा बाजार जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामसुरत चौधरी सा0-पकरैला थाना पथरा जनपद सिद्धार्थनगर के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17.11.2020

श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा सिद्धार्थनगर तहसील पर पहुँचकर सम्पूर्ण समाधान दिवस पर जनता की समस्याओं का निस्तारण हेतु सम्बंधित को निर्देशित किया गया।

आज दिनांक 17-11-2020 को श्री दीपक मीणा, जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर एवं श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर की अध्यक्षता में सिद्धार्थनगर तहसील पर सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। जहां पर महोदय द्वारा फरियादियों से रूबरू होते हुए उनकी समस्याओं को मौके पर सुने तथा वहां मौजूद/संबंधित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।

महोदय ने कहा कि राजस्व और पुलिस विभाग से सम्बन्धित शिकायतों का निस्तारण आपसी सामंजस्य से सुनिश्चित किया जाये। इसमें किसी भी स्तर पर हीलाहवाली क्षम्य नहीं होगी।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17.11.2020

आरक्षी धीरज यादव द्वारा रक्तदान कर गंभीर रूप से घायल की जान बचाई गई।

दिनांक 16.11.2020 को ग्राम रक्सेल, थाना कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर (उ0प्र0) निवासी उमेश आदि, बोलेनो कार नं0- UP 55 AC- 8097 से बच्चे का मुण्डन कराने के लिए ग्राम मैरवां धाम, जिला सीवान (बिहार) जा रहे थे कि समय करीब 05.00 बजे सुबह में ग्राम पंचायत भरवलिया, थाना क्षेत्र सिद्धार्थनगर के पास उक्त बोलेनो कार पुलिस से टकरा जाने के कारण गम्भीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गयी जिसमें 1- उमेश पुत्र राजेन्द्र प्रसाद 2- हिमान्शु पुत्र मुनील कुमार 3- सावित्री पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 4- शिवांगी पुत्री मुनील 5- सरस्वती पत्नी विश्वम्भर निवासीगण ग्राम रक्सेल थाना कपिलवस्तु, जनपद सिद्धार्थनगर की मौके पर मृत्यु हो गयी तथा 1- सविता देवी पत्नी मुनील 2- मुनील पुत्र राजेन्द्र प्रसाद 3- गीता पुत्री राजेन्द्र प्रसाद 4- शिवांशु पुत्र मुनील गम्भीर रूप से घायल हो गये थे। उक्त घायलों को थाना स्थानीय पुलिस द्वारा तत्समय संयुक्त जिला अस्पताल सिद्धार्थनगर दाखिल कराया गया जहाँ चिकित्सकगण द्वारा 1- गीता पुत्री राजेन्द्र प्रसाद 2- शिवांशु पुत्र मुनील को बी.आर.डी. मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया। थाना स्थानीय से हरसम्भव मदद के लिए आरक्षी धीरज यादव को प्रभारी निरीक्षक श्री राधेश्याम राय द्वारा घायलों के साथ तत्समय बी.आर.डी. मेडिकल कालेज गोरखपुर भेजा गया। जहाँ पर गीता पुत्री राजेन्द्र प्रसाद को चिकित्सकगण के परामर्श के अनुसार ब्लड की आवश्यकता पड़ी। तत्समय आरक्षी धीरज यादव ने अपना ब्लड देकर जान बचायी। उक्त सराहनीय कार्य की आमजन भूरि- भूरि प्रशंसा कर रहे हैं।

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 17.11.2020

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश का क्रम में आज दिनांक 17-11-2020 को अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में क्षेत्राधिकारी यातायात सिद्धार्थनगर महोदय के सर्वेक्षण में यातायात कर्मचारियों द्वारा यातायात माह के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को ब्रेथ एनालाइजर के द्वारा चेकिंग की गई एवं यातायात जागरूकता प्रदान की गई तथा नशे की हालत में वाहन न चलाने की हिदायत दी गई।